Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ **अजमेर में पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर के पुलिस थाना भिनाय के कानिस्टेबल एवं ई–मित्र संचालक को 2000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 29 जनवरी बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी **श्री अर्जुन लाल कानि. 2670 पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर एवं श्री विक्रम शर्मा, ई–मित्र संचालक को रिश्वत राशि 2,000 रूपये** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डा. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की चौकी अजमेर कों एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी के विरूद्ध पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर में दर्ज परिवाद की जांच आरोपी श्री अर्जुन लाल कानि. 2670 द्वारा की जा रही थी, जिसमें राजीनामा हो जाने पर परिवाद को बंद करने की एवज में आरोपी श्री अर्जुन लाल कानि. द्वारा **10,.000 रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 15.12.2024 को **7000 रूपये** रिश्वत राशि लेना तय कर उसी दिन 3000 रूपये रिश्वत राशि लेना व शेष रिश्वत राशि के **4000 रूपये** के पेटे परिवादी की सोनी की अंगुठी आरोपी ई–मित्र संचालक श्री विक्रम शर्मा के पास रखवाना, जिस पर परिवादी की ब्यूरो में शिकायत करने पर दौराने सत्यापन 4000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर वक्त सत्यापन **2000 रूपये** आरोपी ई–मित्र संचालक को दिलवाना पाया गया।

जिस पर एसीबी अजमेर रेंज **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालुराम रावत** के सुपरविजन में एसीबी अजमेर **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भागचन्द्र** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर के नेतृत्व में आज **पुलिस निरीक्षक श्री दीनदयाल** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करतें हुए आरोपी **श्री अर्जुन लाल कानि. 2670** व **ई–मित्र संचालक आरोपी श्री विक्रम शर्मा को 2000 रूपये रिश्वत राशि** लेतें रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है एवं रिश्वत राशि आरोपी श्री विक्रम शर्मा के पहने हुए जेकिट से बरामद की गई है।

एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।